न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
016/2018 (GCMS 2018/00181)	23.01.2018	10.02.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

इमरान खान पुत्र हसन खान (विक्रेता/मालिक) मैसर्स कपासन सुपर मार्केट, सेठजी की बगीची के पास, स्टेशन रोड कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी मोमीन मौहल्ला, कपासन जिला जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत द्वारा दिनांक 03.08.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा थे और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था। जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छायाप्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.08.2017 को समय 04.20 पी.एम. पर मैसर्स कपासन सुपर मार्केट सेठजी की बगीची के पास स्टेशन रोड़ कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) पर पहुँचे। वहां पर इमरान खान पुत्र हसन खान उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (घरवाली ब्राण्ड) व अन्य किराणा सामान आदि आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता से खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत करने हेतु कहा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:15 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया। मौके पर गवाहान मो0 सकलेन रजा व श्री महेन्द्र सिंह की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त फर्म पर कुल 500–500 ग्राम के कुल 9 सील्ड पॉली पेक विक्रय हेतु रखे पाये गये। उक्त मे से 1 सील्ड पॉली पेक हल्दी पाउडर (घरवाली ब्राण्ड) को ध्यान से देखने पर उस पर हल्दी पाउडर (घरवाली ब्राण्ड) **Lot No- 06**, नेट वेट– 500 ग्राम, एमआरपी– 105/–, **Date of Pkg.** – जुन 2017, **best before 8 Months from the date of Pkg] Mfg- & Mktd- By** – मैसर्स ललीत मसाला स्टेशन रोड़ बी/एच चौकन्ना बालाजी, नीमच (मध्यप्रदेश) आदि अंकित पाया गया। विक्रेता के पास उक्त हल्दी पाउडर (घरवाली ब्राण्ड) का खरीद बिल नहीं होना पाया गया। इस बाबत उक्त फर्म को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्रांक 3650 दिनांक 30.08.2017 के द्वारा खरीद बिल की सूचना चाही गयी थी जिसका प्रति उत्तर आज दिनांक तक अप्राप्त है। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत जॉच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के 4 सील्ड पॉली पेक 500–500 ग्राम के वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 420/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर–बराबर भागो मे (प्रत्येक भाग मे 1 सील्ड पोलिपैक) बांट कर अलग–अलग रखा। उक्त नमुना भागो हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-852** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:15 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में लिया। विक्रेता को उक्त नमुने के एक भाग (चोथा भाग) को एक्रीएटेड लैब मे जाँच कराने की जानकारी मौके पर ही मेरे द्वारा दे दी गइ थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जा न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/3767 दिनांक 07.09.2017 द्वारा ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि मिसब्रान्डेड होना पाया गया था। जाँच रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 3767 दिनांक 07.09.2017 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/5524 दिनांक 12.12.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने मिस ब्रान्डेड हल्दी पाउडर (घरवाली ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है। अतः में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि आवेदन न्याय निर्णयन हेतु श्रीमान को प्रस्तुत कर निवेदन है

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:15 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि उक्त अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 22.03.2018 को अप्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता अशफाक अली हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 12.07.2018 को विपक्षी की और से एवं जवाब पेश किया। अपने जवाब में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से स्वीकार कर बताया कि आवेदक ने इसमे वर्णित दिनांक को जो कार्यवाही दर्शाई है वह झुठी एवं मनगढन्त है। अभियुक्त के कब्जे अधिकार से कोई हल्दी पाउडर की पैकिग का पाउच नही खरीदा है, और न ही अभियुक्त के कब्जे अधिकार वाले हल्दी पाउडर का नमूना लिया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कोई भी नमूना जांच हेतु अभियुक्त इमरान खान से नही खरीदा हैं, और उक्त नमूना खरीद की कीमत भी अभियुक्त को नही दी है, तथा अभियुक्त इमरान खान से नमूना खरीद की कीमत अदा करने की प्राप्ति रसीद भी नही ली है। आवेदक ने पत्रावली मे सभी कागजात फर्जी तैयार करके पेश किये है। आवेदक के किसी भी दस्तावेज या फर्दात पर या कागजात पर अभियुक्त इमरान खान के कोई हस्ताक्षर किसी भी रूप मे नही है आवेदक ने सारी कार्यवाही फर्जी एवं मनगढन्त की है। आवेदक द्वारा मौके की फर्द रिर्पोट गलत तैयार की है और गवाहो के फर्जी हस्ताक्षर कराये गये है जो किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नही है। आवेदक ने उक्त कलम मे वर्णित सभी फर्दे एवं कागजात झुठे एवं मनगढन्त तैयार करके अभियुक्त इमरान खान को इस प्रकरण मे गलत फसाया है। जबकि अभियुक्त इमरान खान का इस प्रकरण में वर्णित हल्दी नमूना से कोई संबध नही है। अभियुक्त के विरूद्व झुठा प्रकरण बनाया गया हैं प्रार्थी अभियुक्त इमरान खान निर्दोष है। आवेदक द्वारा जो पत्रावली प्रस्तुत की है वह अभियुक्त इमरान खान के विरूद्व झुठी एवं फर्जी है। कानुन की मंशा के अनुसार न्याय निर्णयन हेतु पर्याप्त नही है। आवेदक का आवेदन न्याय निर्णयन हेतु जो पेश किया गया है वह जवाब में वर्णित कारणो से निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अभियुक्त ने कोई हल्दी पाउडर का विक्रय नही किया है अभियुक्त ने कोई हल्दी पाउडर को तैयार नही किया है। आवेदक द्वारा जो नमूना हल्दी पाउडर का बताया है वह घरवाली हल्दी के नाम से किसी कम्पनी का मेक व ब्रांडेड होकर पैकड पाउच है, जिससे प्रार्थी अभियुक्त इमरान खान का कोई लेना देना नही है। आवेदक ने हल्दी पाउच बनाने वाली कम्पनी या स्वामी के विरूद्ध कोई कार्यवाही पेश नहीं की और है। जबकि उक्त हल्दी पाउच बाजार मे हर जगह उपलब्ध है। जिससे आवेदक ने अपने तौर पर लेकर अभियुक्त को अकारण ही मालिक बताकर अभियुक्त को अपराध मे लिप्त कर यह आवेदन पेश किया है। जबकि अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध कारित नही किया है। अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। और अभियुक्त को इस

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:15 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण मे उक्त कार्यवाही से बरी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त आवेदन का अभियुक्त इमरान खान की ओर से जवाब स्वीकार फरमा कर कार्यवाही को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराना फरमावे ।

दिनांक 10.02.2021 को विपक्षी स्वयं हाजिर आया। हमने हाजिर विपक्षी को सुना। विपक्षी द्वारा जवाब परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं विपक्षी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को दोष मुक्त किया जाने की ईश्तदुआ के साथ ही अपना कथन समाप्त किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को हल्दी पाउडर (घरवाली ब्राण्ड) का नमूना लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विक्रेता/मालिक के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि नमूना खरदी बिल से होती है, उस पर गवाहान की शहादत है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मौका फर्द का अवलोकन किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-852** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

ANALYSIS REPORT---

(1) Sample description: The samplc is in sealed and intact in pet jar having original company poly aluminium pack of 500g. Printed on poly aluminium pack turmeric powder coarse groun GRADE STANDARD NO AGMARK. The sample is violate section 24(2)(a) of the Food Safety Standards Act 2006. (Misleading)

(ii) Physical appearance:- Coarse yellow powder, no visible insect intestation or mould growth

(iii) Label :-- Brand-Ghar Wali, Name of food- Haldi Powder, Mfd. by- Lalit Masala. Siation Road, B/h Chakanna Balaji, Neemuch (M.P.), Pkd. on-JUN-2017 (DATE ABSENT), Lot No.- 16. BEST BEFORE 08 MONTHS FROM DATE OF PACKING, Contravention to Regulation 2.2.2(10) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011. Green symbol of veg – Present Ingredients - Present.

Opinion:- The sample of Haldi Powder (Ghar Wali) Bearing code no. and serial no. A AM- 852 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh. The sample is violate section 24(2)(a) of the Food Safety Standards Act 2006. The sample is misbranded fred under section 3(1)(Zf)(A)(i)(a)(C)(i) of the Food Safety & Standards Aci 2006.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:15 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-852** हल्दी पाउडर (घरवाली ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(Zf)(A)(i)(a)(C)(i)** के तहत मिस ब्राण्ड का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। उक्त खाद्य पदार्थ का विपक्षी के पास बिल का नहीं होना जाहिर होता है। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थी इमरान खान पुत्र हसन खान (विक्रेता/मालिक) मैसर्स कपासन सुपर मार्केट, सेठजी की बगीची के पास, स्टेशन रोड कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी मोमीन मौहल्ला, कपासन जिला जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:15 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.

(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.
(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त इमरान खान पुत्र हसन खान (विक्रेता/मालिक) मैसर्स कपासन सुपर मार्केट, सेठजी की बगीची के पास, स्टेशन रोड कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी मोमीन मौहल्ला, कपासन जिला जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त इमरान खान पुत्र हसन खान (विक्रेता/मालिक) मैसर्स कपासन सुपर मार्केट, सेठजी की बगीची के पास, स्टेशन रोड कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी मोमीन मौहल्ला, कपासन जिला जिला चित्तौड़गढ़ को 5000/– अक्षरे पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **10.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:15 IST
Reason: SelfAttested